<u>2012 का विधेयक सं.10</u>

राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

निजी विश्वविद्यालयों की विधियों को संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता हैः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "निजी विश्वविद्यालयों की विधियां" से अनुसूची में विर्निदिष्ट निजी विश्वविद्यालयों के अधिनियम अभिप्रेत है; और

(ख) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

3. निजी विश्वविद्यालयों की विधियों का संशोधन.- निजी विश्वविद्यालयों की विधियों की धारा 5 के खण्ड (म) में विद्यमान अभिव्यक्ति "या बाहर" हटायी जायेगी।

अनुसूची

(धारा 3 देखिये)

क्र.सं.	शीर्षक	अधिनियम सं.
1.	सर पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2008	2008 का 4
2.	जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2008	2008 का 5
3.	सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी (झुन्झुनू) अधिनियम, 2008	2008 का 6

4.	निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर अधिनियम, 2008	2008 का 7
5.	एमिटी विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर अधिनियम, 2008	2008 का 8
6.	सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2008	2008 का 16
7.	ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2008	2008 का 17
8.	भगवंत विश्वविद्यालय, अजमेर अधिनियम, 2008	2008 का 18
9.	जगन्नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2008	2008 का 19
10.	महात्मा ज्योति राव फुले विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2009	2009 का 3
11.	मेवाड़ विश्वविद्यालय, चित्तौड़गढ़ अधिनियम, 2009	2009 का 4
12.	श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाल विश्वविद्यालय, चुडेला (झुन्झुनू) अधिनियम, 2009	2009 का 5
13.	जोधपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2009	2009 का 6
14.	श्रीधर विश्वविद्यालय, बिगोदना, झुन्झुनू अधिनियम, 2010	2010 का 4
15.	एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) अधिनियम, 2010	2010 का 5
16.	होम्यापैथी विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2010	2010 का 6
17.	डा.के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, निवाई (टोंक) अधिनियम, 2010	2010 का 8

18.	पेसिफिक उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2010	2010 का 10
19.	रेफल्स विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) अधिनियम, 2011	2011 का 3
20.	जे.के. लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2011	2011 का 19
21.	प्रताप विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2011	2011 का 20
22.	मणिपाल विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2011	2011 का 21
23.	महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2011	2011 का 22
24.	सनराइज विश्वविद्यालय, बगड़ राजपूत (अलवर) अधिनियम, 2011	2011 का 25
25.	आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2011	2011 का 26

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (प्राइवेट विश्वविद्यालयों के मानकों का स्थापन और अनुरक्षण संबंधी) विनियम, 2003 में यह उपबंध थे कि किसी निजी विश्वविद्यालय को, उसके अस्तित्व में आने के पांच वर्षों के पश्चात् कतिपय शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य के बाहर बाह्य निवेश केन्द्र खोलने के लिए, अनुज्ञात किया जा सकेगा। पूर्वोक्त उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, अब तक स्थापित और निगमित निजी विश्वविद्यालयों को, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उनके अपने-अपने अधिनियमों के अधीन राज्य के भीतर या बाहर बाह्य निवेश केन्द्र स्थापित करने के लिए सशक्त किया गया था।

अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि उसने विधिक कार्य विभाग, भारत सरकार की सलाह पर पूर्वोक्त खण्ड को हटाने का निर्णय किया है और यह सुझाव दिया है कि विद्यमान राज्य अधिनियमों को तदनुसार संशोधित किया जाये।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये गये उपर्युक्त सुझाव को दृष्टिगत रखते हुए, यह प्रस्तावित है कि विद्यमान 25 निजी विश्वविद्यालयों के अधिनियमों को यह उपबंध करने के लिए संशोधित किया जाये कि ये विश्वविद्यालय, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, केवल राज्य के भीतर ही बाह्य निवेश केन्द्र स्थापित कर सकेंगे।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।
अतः विधेयक प्रस्तुत है।

डॉ. दयाराम परमार,
प्रभारी मंत्री।

विधेयक की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों में के सुसंगत उपबंध का उद्धरण

xx **xx** **xx** **xx**

5. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य.- विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात् :-

(क) से (भ) तक xx xx xx

(म) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य के भीतर या बाहर बाह्य निवेश केन्द्र स्थापित करना; और

(य) xx xx xx xx

xx **xx** **xx** **xx**

(Authorised English Translation)

Bill No. 10 of 2012

THE RAJASTHAN PRIVATE UNIVERSITIES' LAWS (AMENDMENT) BILL, 2012

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to amend the Private Universities' Laws.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-third Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Private Universities' Laws (Amendment) Act, 2012.

(2) It shall come into force at once.

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Private Universities' Laws" means the Private Universities' Acts specified in the Schedule; and

(b) "Schedule" means the Schedule appended to this Act.

3. Amendment of Private Universities' Laws.- In clause (y) of section 5 of the Private Universities' Laws, the existing expression "or without" shall be deleted.

SCHEDULE

(See section 3)

S.No.	Title	Act No.
1	Sir Padampat Singhania University, Udaipur Act, 2008	4 of 2008
2	The Jaipur National University, Jaipur Act, 2008	5 of 2008

3	The Singhania University, Pacheri Bari (Jhunjhunu) Act, 2008	6 of 2008
4	The Nims University Rajasthan, Jaipur Act, 2008	7 of 2008
5	The Amity University Rajasthan, Jaipur Act, 2008	8 of 2008
6	The Suresh Gyan Vihar University, Jaipur Act, 2008	16 of 2008
7	The Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur Act, 2008	17 of 2008
8	The Bhagwant University, Ajmer Act, 2008	18 of 2008
9	The Jagan Nath University, Jaipur Act, 2008	19 of 2008
10	The Mahatma Jyoti Rao Phoole University, Jaipur Act, 2009	3 of 2009
11	The Mewar University, Chittorgarh Act, 2009	4 of 2009
12	Shri Jagdish Prasad Jhabarmal Tibrewala University, Chudela (Jhunjhunu) Act, 2009	5 of 2009
13	The Jodhpur National University, Jodhpur Act, 2009	6 of 2009
14	The Shridhar University, Bigodna Jhunjhunu Act, 2010	4 of 2010
15	The NIIT University, Neemrana (Alwar) Act, 2010	5 of 2010
16	The Homoeopathy University, Jaipur Act, 2010	6 of 2010
17	The Dr.K.N.Modi University, Newai (Tonk) Act, 2010	8 of 2010
18	The Pacific Academy of Higher Education and Research University, Udaipur Act, 2010	10 of 2010

19	The Raffles University, Neemrana (Alwar) Act, 2011	3 of 2011
20	The J.K.Lakshmipat University, Jaipur Act, 2011	19 of 2011
21	The Pratap University, Jaipur Act, 2011	20 of 2011
22	The Manipal University, Jaipur Act, 2011	21 of 2011
23	The Mahatma Gandhi University of Medical Sciences and Technology, Jaipur Act, 2011	22 of 2011
24	The Sunrise University, Bagad Rajput (Alwar) Act, 2011	25 of 2011
25	The ICFAI University, Jaipur Act, 2011	26 of 2011

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

There were provisions in the University Grants Commission (Establishment of and Maintenance of Standards in Private Universities) Regulations, 2003 that a Private University may be permitted to open off-campus centres out side the State after five years of its coming into existence subject to certain conditions. Having regard to the aforesaid provisions the Private Universities established and incorporate upto now were empowered to set up off-campus centres within or without the State, subject to the provisions of any other law for the time being in force under their respective Acts.

Now the University Grants Commission has informed that it has decided to delete the aforesaid clause on the advice of the Department of Legal Affairs, Government of India and has suggested to amend the existing State Acts accordingly.

In view of the above suggestion given by the University Grants Commission, it is proposed that the existing 25 Private Universities' Acts be amended so as to provide that these Universities shall, subject to the provisions of any other law for the time being in force, be empowered to set up off-campus centres only within the State.

The Bill seeks to achieve the aforesaid object.

Hence the Bill.

डॉ. दयाराम परमार,
Minister Incharge.

EXTRACT OF RELEVANT PROVISION IN THE ACTS SPECIFIED IN THE SCHEDLE OF THE BILL

XX XX XX XX

5. Powers and functions of the University.- The University shall have the following powers and functions, namely:-

(a) to (x) xx xx xx xx

(y) to set up off campus centre within or without the State, subject to the provisions of any other law for the time being in force; and

(z) xx xx xx xx xx

XX XX XX XX

<u>2012 का विधेयक सं. 10</u>

राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

निजी विश्वविद्यालयों की विधियों को संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

कृष्ण मुरारी गुप्ता,
उप सचिव।

(डॉ. दयाराम परमार, **प्रभारी मंत्री)**

Bill No. 10 of 2012

THE RAJASTHAN PRIVATE UNIVERSITIES' LAWS (AMENDMENT) BILL, 2012

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to amend the Private Universities' Laws.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

KRISHAN MURARI GUPTA,
Deputy Secretary.

(Dr. Dayaram Parmar, **Minister-Incharge**)